संख्या-405/2023/1449/22-2-2023-17(363)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोनू उर्फ अजय पुत्र श्री राजपाल, निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-12-2022) दिनांक-24-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोनू उर्फ अजय पुत्र श्री राजपाल, ग्राम-लालवाला, थाना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। भाई से कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में विवाद चलने की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को बन्दी सोनू ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी के घर में घुसकर पति डा0 राजवीर, पुत्र मनीष व आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद सहित 04 लोगों की चाकू व तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस0टी0 नं0-885/2001 व (2) एसटी नं0-887/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-02, सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड व धारा-148, 452 आईपीसी एवं धारा-25 शस्त्र अधिनियम में 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (3)-एसटी नं0-2692/2010 में भा0द0वि0 की धारा-224 के अन्तर्गत मा0 ए0सी0जे0एम0 चतुर्थ-23, सहारनपुर के आदेश दिनांक 09.08.2010 द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (4)-एसटी नं0-04/2011 धारा-3/03 गैगस्टर एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 हरिद्वार, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 19.02.2018 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने भाई से कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में विवाद चलने की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 04 व्यक्तियों की

चाकू व तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ अजय पुत्र श्री राजपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोनू उर्फ अजय (बन्दी संख्या-17305) पुत्र श्री राजपाल, निवासी जनपद-सहारनपुर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या-405/2023/1449(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-405/2023/1449/22-2-2023-17(363)/2023

दिनांक 23 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोनू उर्फ अजय पुत्र श्री राजपाल, ग्राम-लालवाला, थाना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। भाई से कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में विवाद चलने की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को बन्दी सोनू ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी के घर में घुसकर पति डा0 राजवीर, पुत्र मनीष व आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद सहित 04 लोगों की चाकू व तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस0टी0 नं0-885/2001 व (2) एसटी नं0-887/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-02, सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड व धारा-148, 452 आईपीसी एवं धारा-25 शस्त्र अधिनियम में 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (3)-एसटी नं0-2692/2010 में भा0द0वि0 की धारा-224 के अन्तर्गत मा0 ए0सी0जे0एम0 चतुर्थ-23, सहारनपुर के आदेश दिनांक 09.08.2010 द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (4)-एसटी नं0-04/2011 धारा-3/03 गैगस्टर एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 हरिद्वार, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 19.02.2018 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथाव त रखा गया है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने भाई से कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में विवाद चलने की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 04 व्यक्तियों की चाकू व तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ अजय पुत्र श्री राजपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।